

1

3



Rm

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

20/4/17

I/निगरानी/टीकमगढ/

सि.प्र. व.प्र. अधि
धर्मपुरा
30/5/17

भू.शं/2017/1606

1. गोवर्धन तनय धम्मू लोधी
2. शिवदयाल तनय धम्मू लोधी
3. मोती तनय बल्दू लोधी
4. प्रेम तनय बल्दू लोधी सभी निवासी धर्मपुरा तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

निगराकारगण

बनाम

1. लखन तनय पचुआ ढीमर
2. शासन मध्यप्रदेश द्वारा पटवारी हल्का धर्मपुरा तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

...प्रति निगराकारगण



आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी प्रतिकूल आदेश अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ द्वारा 40/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 एवं प्रकरण क्रमांक- 127/अ.-6-अ/2014/16 में पारित आदेश दिनांक 16.08.2016 से बंधित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

2

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम धर्मपुरा खसरा नंबर 503 एवं 553 में सम्पूर्ण रकवा क्रमशः 3.12 एकड़ एवं 14.07 एकड़ पर बगैर किसी आधार पर प्रति अपीलार्थी क्रमांक-1 का नाम दर्ज किया गया, जबकि भूमि अपीलार्थीगणों के पैतृक भूमि के स्वरूप उन्हें प्राप्त होना चाहिये थे, बगैर किसी सक्षम अधिकारी/समक्ष न्यायालय के आदेश के बगैर राजस्व अभिलेखों में प्रति अपीलार्थी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
<p>2-1-18</p>	<p>आदेशक. काम. की. पुत्री छिटे आदेश उपर। अनाथ शासन की को से की अनाथ क-पत्रों की शासक को उपर। आदेशक. काम. की. पुत्री प्रकाश को नोटिस के अभाव किने जाने का सिद्ध करना। अनाथ शासन को नोटिस कापनी नही है प्रकाश नोटिस में रही है। अनाथ किना आना की प्रकाश दायित्व सिद्ध है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रकाश </p>	<p>  2-1-18 </p>

3